एमएसएमई : भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का आधारस्तंभ

–डॉ. नीलेश कुमार तिवारी

विगत पांच दशकों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ समावेशी सामाजिक आधारशिला को मजबूत करने का कार्य किया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार देश के सकल मूल्य संवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 32 प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के अनुसार देश मे 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि एमएसएमई में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा लगभग 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है।

36 सदस्य देशों के संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), जो विकसित और विकासशील देशों का समूह है तथा जिसमें भारत गैर–सदस्यीय देश है, में लगभग 99 प्रतिशत उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। ओईसीडी देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औसतन लगभग 70 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ लगभग 50 से 60 प्रतिशत मूल्य संवर्धन में भी योगदान देता है। वर्ष 2017 में संपन्न हुई ओईसीडी परिषद की मंत्री–स्तरीय बैठक की रिपोर्ट के अनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एमएसएमई कुल रोजगार का लगभग 45 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 33 प्रतिशत का योगदान देता है।

वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक समूह के अध्ययन के अनुसार, उभरते बाजारों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, 36.5 करोड़ से 44.5 करोड़ के बीच अनुमानित हैं जिनमें 5.5 से 7 करोड़ औपचारिक सूक्ष्म उद्यम तथा 28.5 से 34.5 करोड़ अनौपचारिक उद्यम अनुमानित हैं। इसी क्रम में विश्व बैंक के अनुसार, औपचारिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कुल रोजगार का 60 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद (राष्ट्रीय आय) का लगभग 40 प्रतिशत तक योगदान देता है।

विगत पांच दशकों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने (एमएसएमई) अपनी निरंतर प्रगति से भारत के सतत आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ समावेशी सामाजिक आधारशिला को मजबूत करने का कार्य किया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार देश के सकल मूल्य संवर्धन में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा 32 प्रतिशत है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के अनुसार देश मे 633.8 लाख असमायोजित गैर–कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा लगभग 11.10 करोड़ लोगों को विभिन्न कार्यों मे रोजगार मिला है। वहीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल अनुमानित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों की संख्या 633.8 लाख है।

एमएसएमई विकासशील देशों में, विशेषकर भारत जैसे देश में, बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत से, कृषि एवं कृषि–संबद्ध क्षेत्र के बाद एकमात्र दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो उद्यमिता, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन करता है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र नवाचार तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, कम जोखिम उठाकर स्वदेशी वस्तुओ, सेवाओं के उत्पादन से

तालिका–1: एमएसएमई क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

क्र.	देश मे कुल अनुमानित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या	633.8 लाख	स्रोत–राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के सर्वेक्षण
1	पारंपरिक से उच्च–तकनीकी उत्पादों श्रृंखला	6,000 से ज्यादा	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों मे वृद्धि पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, एमएसएमई, मंत्रालय, भारत सरकार
2	रोजगार प्रदान करता है	लगभग 6.9 करोड़	
3	औद्योगिक उत्पादन में योगदान	लगभग 45 प्रतिशत	
4	कुल निर्यात मे योगदान	लगभग 40 प्रतिशत	
5	समाज के वंचित वर्ग द्वारा स्वामित्व	लगभग 50 प्रतिशत	

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आत्मनिर्भर होने व घरेलू और वैश्विक बाजारों की पूर्ति कर अपनी महत्ता को प्रतिपादित करता है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान और भविष्य के अवसरों के मद्देनजर, भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर दिशा एवं दशा प्रदान करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अनेक नीतिगत पहल की हैं। जिसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में 'उद्यम की अवधारणा को विस्तृत करते हुए विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। (तालिका–4)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के वर्गीकरण के आधार में बदलाव को मंजूरी दी है। इसे 'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश' से बदलकर 'वार्षिक कारोबार' में बदलने का प्रस्ताव है। मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 (अनुच्छेद 7) में निर्माण इकाईयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपक्रमों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण करता है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मानक स्वघोषणा है जिसके लिए प्रमाणीकरण और लेन–देन की लागत आवश्यक है। इसमें संशोधन कर नई परिभाषा लागू की जाएगी। (तालिका–5)

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों जैसे अगरबत्ती व मोमबत्ती बनाना, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण संबंधित कार्य, पेपर कप व पेपर बैग बनाना, फर्नीचर निर्माण, हस्तशिल्प बनाना, मशीन टूल्स, खेल सामान, खाद्य प्रसंस्करण जैसे काजू प्रसंस्करण, बेकरी, डेयरी एवं संबंधित उत्पाद, आइसक्रीम कारखाना, रेडीमेड कपड़े तैयार करना, डिटर्जेंट पाउडर विनिर्माण, चमड़ा प्रसंस्करण, खिलौने बनाना, पैक किया गया पेयजल, ब्यूटी सैलून, आउटडोर विज्ञापन हेतु फ्लेक्स प्रिंटिंग, बायो–डीजल उत्पादन इत्यादि को और अधिक सुनियोजित तरीके से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

हालांकि, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के साथ–साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण हेतु क्लस्टर विकास दृष्टिकोण (उद्यमों का एक चिन्हित सामूहिक क्षेत्र, जहां समान उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन होता है) रणनीतिक तौर पर अपनाया है एवं क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत देश में निम्नलिखित क्लस्टर तालिका–6 में दिखाए गए हैं।

भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका

- रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से, एमएसएमई क्षेत्र गरीबी, भुखमरी व आर्थिक असमानता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- लोगों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने के माध्यम से उनके रहन–सहन एवं जीवन–स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देता है।
- समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे वंचित, पिछड़े एवं दिव्यांग–जनों को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर कर सम्मानपूर्वक खुशहाल जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है।
- पुरुष–प्रधान भारतीय समाज में यह क्षेत्र महिलाओं को, विशेषकर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता हेतु प्रेरित कर महिला सशक्तिकरण में योगदान देता है।

सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा

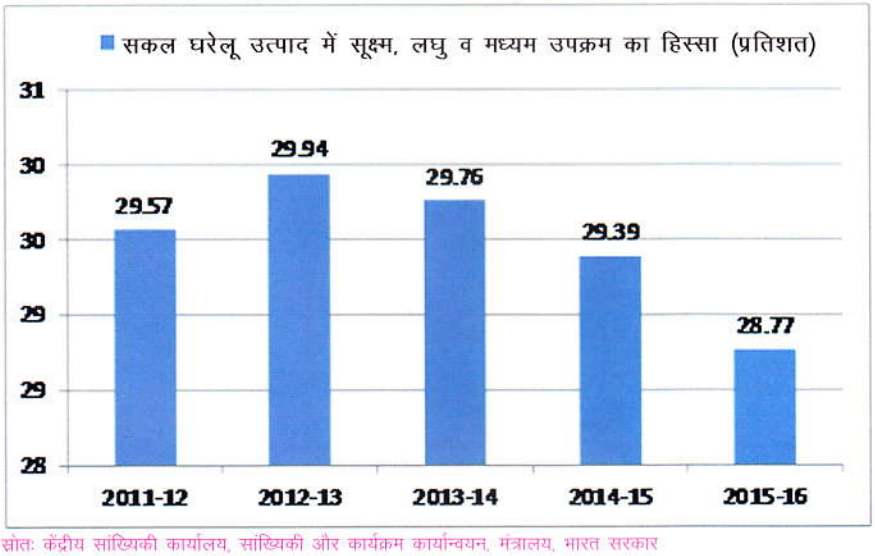

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–2: श्रेणीवार एमएसएमई का वितरण

(लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल एमएसएमई
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88
शहरी	306.43	2.53	0.04	309
कुल	630.52	3.31	0.05	633.88

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका–3: गतिविधियों के अनुसार एमएसएमई संख्या

(लाख में)

गतिविधि वर्ग	ग्रामीण	शहरी	कुल एमएसएमई
उत्पादन–संबंधी	114.14	82.5	196.64
व्यापार	108.71	121.64	230.35
अन्य सेवाएं	102	104.85	206.85
बिजली*	0.03	0.01	0.04
कुल	324.88	309	633.88

*केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के साथ पंजीकृत इकाइयों द्वारा गैर–कैप्टिव बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण

- एमएसएमई क्षेत्र मुख्य रूप से श्रम–आधारित होने के कारण रोजगार–रहित विकास (जॉबलेस ग्रोथ) की समस्या को कम करके समावेशी विकास प्रदान करता है।
- यह क्षेत्र स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन एवं आपूर्ति से आत्मनिर्भर होकर आयात प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाएं प्रदान करता है जिससे पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) को बढ़ावा मिलता है।
- वैश्वीकरण, निजीकरण एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के दौर में एमएसएमई क्षेत्र स्थानीय कला एवं संस्कृति, पर्यटन, योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य पर्यटन, हस्तशिल्प इत्यादि को न केवल बढ़ावा देता है अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया जो निम्नलिखित हैं–

- छोटे एवं मझोले उद्यमों को विकसित करने हेतु अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण;
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर उत्पादकता को बढ़ावा देना;
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से नवाचार को बढ़ावा देना;
- एमएसएमई क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना;
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार पर्याप्त वित्त की समय पर अनुपलब्धता जिससे व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सके;
- सही समय पर सही वस्तुओं, सेवाओं की बाजार तक पहुंच एवं विपणन;
- वस्तुओं एवं सेवाओं में नवाचार एवं रचनात्मकता का अभाव;
- निर्यात हेतु समय पर ऋण की उपलब्धता एवं निर्यात बीमा तक सीमित पहुंच;
- समयानुसार आवश्यक ज्ञान, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण का अभाव;
- अनुसंधान, सूचना व प्रौद्योगिकी की सहायता से वस्तुओं, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार;
- वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक आधुनिक उपकरणों का पड़ोसी देशों से आयात, जिसे अनुसंधान द्वारा अथवा स्वदेशी तकनीकी के प्रयोग से विकसित किया जाए;
- उत्पादों, सेवाओं के मानकीकरण और प्रमाणीकरण का अभाव;
- व्यावसायिक प्रबंधन कौशल का अभाव;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला एवं आवश्यक कारीगरों के अभाव के कारण उच्च लागत वस्तुओं का निर्माण;
- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी जानकारी का अभाव;

चुनौतियों का अवसरों के रूप में समावेशी व सतत विकास

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार व निजी क्षेत्र (सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स) के संयुक्त प्रयास से 10 तकनीकी स्कूलों में युवाओं को विभिन्न सैमसंग उत्पादों के मरम्मत और रखरखाव कार्य हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत सरकार की 'सार्वजनिक खरीदी नीति' के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी कुल खरीदी का 20 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र से एवं 4 प्रतिशत खरीदी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाली एमएसएमई से लेने का प्रावधान किया गया है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य क्रेडिट सहायता योजना

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र

2. खादी, गांव और कॉयर उद्योगों के विकास हेतु

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना
- बाजार संवर्धन एवं विकास योजना
- पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए फंड का पुर्नोत्थान

तालिका–4: एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की परिभाषा

वर्गीकरण	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म	25 लाख रुपये तक निवेश	10 लाख रुपये तक निवेश
लघु	25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक निवेश	10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक निवेश
मध्यम	5 से 10 करोड़ रुपये तक	2 से 5 करोड़ रुपये तक

तालिका–5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की नई प्रस्तावित परिभाषा

सूक्ष्म	5 करोड़ रुपये तक वार्षिक विक्रय कारोबार
लघु	5 से 75 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार
मध्यम	75 से 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार

योजना (स्फूर्ति)

- कॉयर उद्यमी योजना, कॉयर विकास योजना

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन

- अभिनव, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना 'एस्पायर'
- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
- मार्केटिंग समर्थन/एमएसएमई को सहायता
- बौद्धिक संपदा अधिकार बिल्डिंग जागरूकता
- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता
- डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लिनिक
- तकनीक और गुणवत्ता उन्नयन का समर्थन

4. विपणन प्रोत्साहन योजनाएं

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- विपणन सहायता योजना
- विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (MATU)
- एमएसएमई बाजार विकास सहायता

5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

6. बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम

एमएसएमई क्षेत्र के समुचित उत्थान हेतु महत्वपूर्ण पहल

- **'क्लस्टर विकास कार्यक्रम'** के अंतर्गत चयनित एसएमई क्लस्टर के समग्र विकास हेतु सहकारी आधार पर मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर जोर।
- **50 सौर चरखा कलस्टरों में सौर चरखा मिशन:** 2018–19 और 2019–20 के दौरान इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इस योजना से लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।
- **'डिजिटल एमएसएमई स्कीम'** के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से 'क्लाउड कम्प्यूटिंग' द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- **खादी स्टोर लोकेटर एप:** देशभर में फैले 4,000 खादी स्टोरों के सटीक स्थानों का पता लगाने में सहायता के लिए एक मोबाइल फोन एप लांच किया। वर्तमान समय में भारत में 8,000 से भी ज्यादा खादी स्टोर हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्माण निजी स्वामित्व वाली लगभग 7 लाख घरेलू अथवा पारिवारिक इकाइयों द्वारा किया जाता है जिनका वित्तपोषण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाओं के जरिए किया जाता है।
- **'स्फूर्ति'** इससे पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करने और उनके दीर्घकालिक स्थायित्व, निरंतर रोजगार, नवाचार, उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करना इत्यादि है।
- **महिला उद्यमियों के लिए 'उद्यम सखी' पोर्टल:** देश में इस समय लगभग 80 लाख महिलाएं अपना कारोबार चला रही हैं। पोर्टल के द्वारा उद्यमशीलता को बढावा देने, महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने तथा कम लागत वाली सेवाओं और उत्पादों के लिए कारोबार के नए मॉडल तैयार किए जा सकेंगे। पोर्टल के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार शुरु करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवशेकों से सीधे संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध करायी गई है।

एमएसएमई क्षेत्र एवं बजट 2018–19

- केंद्रीय बजट 2018 में 250 करोड़ रुपये तक की वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25 प्रतिशत जिससे कंपनियां अधिक अधिशेष को निवेश कर अधिक नौकरियों का सृजन हो सकें।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 1024.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 1800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि गैर–कृषि क्षेत्र में लगभग 88,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे तथा इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- **साख गारंटी कोष** को पहले ही 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ–साथ संबंधित योजना में अन्य ढांचागत सुधारों की बदौलत इस सेक्टर में ऋण वृद्धि और रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 150 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- खादी अनुदान के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 265.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 415 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

तालिका–6 : क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर

उत्पाद क्लस्टर	स्थान	उत्पाद क्लस्टर	स्थान
कॉयर और कॉयर उत्पाद	ईरोड, तमिलनाडु	छत टाइल्स	बांकुरा, पश्चिम बंगाल
कपास फैब्रिक	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्लास्टिक प्रसंस्करण	दाग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
फुटवेयर	बहादुरगढ़, हरियाणा	रिफैक्ट्री ईंटें	कुल्टी, सालनपुर, बर्दवान, पश्चिम बंगाल
फार्मास्यूटिकल्स	करनाल, हरियाणा	लेड–एसिड बैटरी	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
स्टेनलेस स्टील	कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	पीतल व बेल धातु	खगरा, पश्चिम बंगाल
प्लाईवुड	यमुनानगर, हरियाणा	माचिस	विरुधुनगर, तमिलनाडु
काजू	कर्नाटक	स्टेनलेस स्टील	कुम्भकोणम, तमिलनाडु
रायसिन प्रसंस्करण,	बेलगाम, कर्नाटक	कर्नाटक प्रिंटिंग	चमारजपेट, बैंगलोर
लकड़ी	कन्नूर, केरल	सोने के आभूषण	त्रिची, तमिलनाडु
प्लास्टिक पैकेजिंग	उज्जैन, मध्य प्रदेश	पावरलूम	सालेम, तमिलनाडु
फ्लाई एश	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	चावल मिल	तंजावुर, तमिलनाडु
धातु	मोहाली, पंजाब	काजू	गंजम, व निलाचक्र ब्रह्मगिरी, पुरी ओडिशा
गोटा जारी फीता क्लस्टरए	अजमेर, राजस्थान	पंप और फाउंड्री	राजकोट, गुजरात
आधुनिक गुच्छेदार कालीन	भदोही, उत्तर प्रदेश	रेडीमेड गारमेंट्स	बरेली, उत्तर प्रदेश
कांच	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	हाईटेक रेशम बुनाई	वाराणसी, उत्तर प्रदेश

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

गैर–परंपरागत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सोलर चरखा मिशन की एक नई योजना भी प्रस्तावित की गई है ताकि और ज्यादा रोजगारों का सृजन हो सके।

- **एस्पायर नवाचार–** ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन हेतु योजना के तहत आवंटन को वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान के 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में 232 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 100 आजीविका बिजनेस इन्क्युबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्युबेटरों की स्थापना करना है। इससे उद्यमिता और रोजगार सृजन में तेजी आएगी।
- **राष्ट्रीय एससी/एसटी हब** के तहत आवंटन को 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 93.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि एससी/एसटी उद्यमियों के कारोबार में वृद्धि को नई गति प्रदान की जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी घटकों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र आवंटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

निष्कर्ष

एमएसएमई क्षेत्र, जो उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के मामले में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को विकसित करने हेतु भारत सरकार ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिनमें ऋण की उपलब्धता, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार और विपणन समर्थन के लिए योजनाएं शामिल हैं। मुद्रा, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्किल इंडिया', क्रेडिट गारंटी फंड के कवरेज में वृद्धि इत्यादि प्रयास एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा की ओर अग्रसित करते हैं।

वहीं दूसरी ओर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा खरीदी नीति 2018 के मसौदे में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। जबकि अनौपचारिक व अपंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

अंत में, चौथी औद्योगिक क्रांति, एमएसएमई क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट विकास की असीमित संभावनाओं की ओर इंगित करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स के साथ–साथ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईआईओटी) की व्यापक उपयोगिता भारत में एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा एवं दशा देने में सहायक होगी।

संदर्भ

- वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
- https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-8-EN.pdf
- High-Growth SMe~ Support Initiatives in Nine Countries: Analysis, Categorçation, and Recommendations, Report prepared for the Finnish Ministry of Trade and Industry
- http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/52835696.PDF
- http://www.dcmsme.gov.in/mse-cdprog.htm
- http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Ongoing_CFC.pdf
- इंडिया एमएसएमई मार्चिंग अहेड अचीवमेंट्स 2014–18, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- https://economictimes.indiatimes.com/small-bç/sme-sector/move-over-it-iiot-is-the-next-big-thing-for-msmes/articleshow/57040654.cms
- द न्यू वेब इंडिया एमएसएमई, एन एक्शन एजेंडा फॉर ग्रोथ केपीएमजी रिपोर्ट
- स्टैंडअप इंडिया इंटरनेशनल क्रांफ्रेंस ऑन एंटरप्रेनरशिप एंड वीमैन एम्पावरमेंट के अंश
- एनएसएस 73वां राउंड, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

(लेखक छत्तीसगढ़ के बस्तर विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मेनेजमेंट स्टडीज में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेलः nileshtiwariprsu@gmail.com